

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/61

लागू तिथि -26.9.2013

बाजपुर-गुलरभोज के मध्य स्थित इंजी0 समपार 11/सी की सामान्य स्थिति 'बन्द' से 'खुला' करने के सम्बन्ध में बाजपुर स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 दिनांक 14.5.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनांक 17.9.2013

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 संशोधित

गेट परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क' गेट संख्या 11/सी पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक बदलकर संशोधित

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा0)
इज्जतनगर

टापशीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/61

लागू तिथि 31.12.2012

बाजपुर—काशीपुर के मध्य स्थित इंजी० समपार 33/सी एवं 34/सी की सामान्य स्थिति 'बन्द' से 'खुला' करने के सम्बन्ध में बाजपुर स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 दिनांक 14.5.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 21.12.2012

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 11 एवं 12 पैरा 7 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 17 पैरा 10 संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क-VII' गेट संख्या 33/बी पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक बदलकर संशोधित
2. परिशिष्ट 'क-VIII' गेट संख्या 34/बी पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक बदलकर संशोधित

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)
इज्जतनगर

**बाजपुर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)**

जारी तिथि 14.5.2012
लागू तिथि 11.7.2012
पुनरीक्षण तिथि May-17

बी श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशित, मानक-I,
लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिगनलों से सज्जित

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (क), 8.03 (2) (क) (ख) (ग) (i) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 दिनांक 7.2.2010 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई०/नि/ पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या मुसिदूई / नि /बी०जी० / 99(YD)6 संशोधन 'यू' पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 496 दिनांक 28.2.2007 आल्ड्रेशन 'ई' दिनांक 21.4.2012 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

बाजपुर स्टेशन लालकुआ - काशीपुर मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर "बी" श्रेणी का स्टेशन है तथा लालकुआ से 38.30 किलोमीटर और काशीपुर से 20.12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

गूलरभोज (पूर्व दिशा में) 16.09 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

काशीपुर जं० (पश्चिम दिशा में) 20.12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति** :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) **बाहरी साइडिंग** :- कोई नहीं।

(iii) हाल्ट स्टेशन :

1. **बेरिया दौलत हाल्ट**, इस स्टेशन से 9.16 किमी० की दूरी पर बाजपुर-गूलरभोज के मध्य स्थित है।

2. **सरकरा हाल्ट**, इस स्टेशन से 08.05 किमी० की दूरी पर बाजपुर -काशीपुर के मध्य स्थित है।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं :

यहाँ कोई कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग, नान-स्टैण्डर्ड टर्न-आउट, घुमाव अथवा स्प्रिंग काँटा नहीं है।

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
बाजपुर - गूलरभोज	डाउन शंटिंग लिमिट बोर्ड (बाजपुर)	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (गूलरभोज)
बाजपुर - काशीपुर	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (बाजपुर)	डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल (काशीपुर)

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :

- (i) काशीपुर की ओर अप शंटिंग लिमिट बोर्ड तथा डाउन आउटर सिगनल के मध्य 237 में 1 का उतरता ढलान है।

2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

अभिन्यास केवल 3 लाइनों का है। लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 रनिंग लाइने हैं।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	750 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या-2	725 मीटर	मेन लाइन
लाइन संख्या-3	750 मीटर	लूप लाइन

- (ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है तथा ट्रैक सर्किटेड है। इसके रिक्त / आक्यूपाइड होने के सफेद अथवा लाल मिनीचेर इंडिकेशन स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्टेशन मास्टर के डायग्राम एवं लीवर फ्रेम के डायग्राम पर प्रदर्शित होंगे।

- (ग) अप अथवा डाउन गाड़ियाँ किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. अपरिचालित लाइने, एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) :

इस स्टेशन पर कोई नहीं

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/61

बाजपुर

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
20 सी	अप आउटर तथा डाउन शॉटिंग लिमिट बोर्ड के मध्य	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
21 बी	अप होम सिगनल तथा डाउन शॉटिंग लिमिट बोर्ड के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
22 सी	कॉटा संख्या 4 एवं 5 के मध्य	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
23 बी	डाउन होम सिगनल तथा अप शॉटिंग लिमिट बोर्ड के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
24 सी	डा० सिग० साइडिंग बोर्ड एवं आउटर सिग० के मध्य	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित
11 सी	बाजपुर-गूलरभोज के मध्य किमी० 30/12-13	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
18 सी	बाजपुर-गूलरभोज के मध्य किमी० 36/2-3	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
19 सी	बाजपुर - गूलरभोज के मध्य किमी० 36/9-10	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
28 सी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 43/1-2	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
30 सी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 43/13-14	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
33 बी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 46/11-12	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
34 बी	बाजपुर-काशीपुर के मध्य किमी० 47/5-6	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
35 सी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 47/12-13	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-IX तक देखें।

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है।

फाटक सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
20 सी	अप आउटर तथा डाउन शॉटिंग लिमिट बोर्ड के मध्य	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
21 बी	अप होम सिगनल तथा डाउन शॉटिंग लिमिट बोर्ड के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
22 सी	कॉटा संख्या 4 एवं 5 के मध्य	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
23 बी	डाउन होम सिगनल तथा अप शॉटिंग लिमिट बोर्ड के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
24 सी	डा० सिग० साइडिंग बोर्ड एवं आउटर सिग० के मध्य	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित
11 सी	बाजपुर-गूलरभोज के मध्य किमी० 30/12-13	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
18 सी	बाजपुर-गूलरभोज के मध्य किमी० 36/2-3	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
19 सी	बाजपुर - गूलरभोज के मध्य किमी० 36/9-10	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
28 सी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 43/1-2	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
30 सी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 43/13-14	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
33 बी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 46/11-12	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
34 बी	बाजपुर-काशीपुर के मध्य किमी० 47/5-6	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
35 सी	बाजपुर - काशीपुर के मध्य किमी० 47/12-13	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-IX तक देखें।

3. संचालन की पद्धति एवं साधन :

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो काशीपुर तथा गूलरभोज से इकहरी लाइन पर “पूर्ण ब्लाक पद्धति” कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टैब्लेट यन्त्र काशीपुर तथा ब्लाक टोकेन यन्त्र गूलरभोज स्टेशनो से पृथक-पृथक सम्बद्ध।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07, 14.08(ख) 14.11, 14.12 एवं साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है। ब्लाक यन्त्रों की चाबियाँ उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होनी चाहिए।

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :4.1 विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :

बाजपुर स्टेशन अन्तर्पाशन मानक-I लोअर क्वाड्रेन्ट सेमाफोर सिगनलों वाला स्टेशन है। सिगनलों को स्टेशन मास्टर के कार्यालय के समीप स्टेशन प्लेटफार्म पर स्थित 14 लीवर वाले ग्राउण्ड फ्रेम द्वारा संचालित किया जाता है। कार्यरत स्टेशन मास्टर इसी 14 लीवर वाले फ्रेम के माध्यम से गाड़ियों का नियन्त्रण स्थिर सिगनलों के द्वारा करता है। इस स्टेशन पर निम्नलिखित सिगनल प्रदत्त है :-

प्रदत्त सिगनल :(क) अप आगमन सिगनल (गूलरभोज से) :-

अप आउटर सिगनल संख्या 13 मोटर चालित है तथा इसकी स्थिति होम सिगनल के आर्म संख्या 10, 11 एवं 12 के आर्म कान्टैक्ट द्वारा नियन्त्रित है।

अप ब्रैकेटेड होम सिगनल मोटर चालित

आर्म संख्या 10 लाइन संख्या 1 के लिये
आर्म संख्या 12 लाइन संख्या 2 के लिये
आर्म संख्या 11 लाइन संख्या 3 के लिये

(ख) डाउन आगमन सिगनल (काशीपुर से) :-

डाउन आउटर सिगनल संख्या 2 मोटर चालित है तथा इसकी स्थिति होम सिगनल के आर्म संख्या 3, 4 तथा 5 के आर्म कान्टैक्ट द्वारा नियन्त्रित है।

डाउन ब्रैकेटेड होम सिगनल मोटर चालित

आर्म संख्या 4 लाइन संख्या 1 के लिये
आर्म संख्या 3 लाइन संख्या 2 के लिये
आर्म संख्या 5 लाइन संख्या 3 के लिये

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- 4.1.1(क) परिचालित लाइन से निकलकर परिचालित लाइन को जाने वाले सम्मुख काँटों पर तीन चाबी वाले हैण्ड प्लंजर ताले (तिहरे) लगे है। ये काँटे सामान्यतया प्रचालन के लिये मुक्त है।
- (ख) प्रत्येक दिशा में होम सिगनल पर ताले लगे हैं तथा इनमें चाबी लगी रहती है। इनका प्रचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय के निकट प्लेटफार्म पर लगे 14 लीवर वाले लीवर फ्रेम से किया जाता है। किसी आपात स्थिति में जब सिगनलों को 'आन' करने की आवश्यकता हों, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर होम सिगनल लीवर को वापस करके होम सिगनल को वापस कर सकता है। ऐसी स्थिति में आउटर सिगनल स्वतः 'आन' हो जाता है।
- (ग) दोनों दिशाओं में लगा तीन भुजा वाला होम सिगनल प्रदत्त है जो तीनों परिचालित लाइनों के लिये अलग-अलग प्रयुक्त होता है। अप एवं डाउन होम सिगनल के पीछे 180 मीटर की दूरी पर क्रमशः अप एवं डाउन शॉटिंग लिमिट बोर्ड प्रदत्त है।
- (घ) **स्टेशन मास्टर कंट्रोल चाबी :-** स्टेशन मास्टर के कार्यालय में ग्लेज्ड बाक्स में ताला बन्द चाबी 'जी' एवं 'ए' नियन्त्रण चाबियों प्रदत्त है जिनके माध्यम से होम सिगनलों की लाइन चाबियों पर नियन्त्रण रखा गया है। काशीपुर दिशा की नियन्त्रण चाबी 'जी' को काँटा संख्या 6 अथवा 5 में लगाने पर रिलीज़ हुई चाबी 'जे' या 'के' को पुनः काँटा संख्या 5 में चाबी 'जे' को लगाने पर चाबी 'एच' अथवा 'एल' को रिलीज़ करती है जिसको होम सिगनल लोकेशन के लीवर लाक में लगाने पर लाइन नियन्त्रण चाबी 'एल-1', या 'एल-2' या 'एल-3' रिलीज़ होती है। इसी प्रकार गूलर भोज दिशा की नियन्त्रण चाबी 'ए' को काँटा संख्या 2 में लगाने पर रिलीज़ हुई चाबी 'बी' अथवा 'सी' को पुनः काँटा संख्या 2 में चाबी 'सी' को लगाने पर रिलीज़ हुई चाबी 'डी' या 'ई' होम सिगनल लोकेशन के लीवर लाक में लगाने पर लाइन नियन्त्रण चाबी 'एल-1', या 'एल-2' या 'एल-3' रिलीज़ होती है।
(काँटों तथा सिगनलों के प्रचालन हेतु विस्तृत विवरण संकेतन परिशिष्ट "ख" में देखें)
- (ङ) **स्टेशन मास्टर का लाक अप बाक्स :-** स्टेशन मास्टर के कार्यालय में एक 7-मार्गी लाक अप बाक्स प्रदत्त है जिसमें चाबी 'पी' तथा 'क्यू' समपार फाटक संख्या 21 एवं 23 को नियन्त्रित करती है। इसके अतिरिक्त चाबी 'एन', 'एम', 'एल-1', 'एल-2' 'एल-3' चाबी है। चाबी 'एन' तथा 'एम' दिशा दिशा नियन्त्रण चाबियों है तथा 'एल-1', 'एल-2' 'एल-3' लाइन चाबियों है। प्रत्येक स्थिति में लाक अप बाक्स की चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहनी चाहिए। लाक अप बाक्स में प्रदत्त चाबियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।
- (च) किसी भी होम सिगनल की विफलता होने पर आउटर सिगनल को भी विफल माना जायेगा।
- 4.1.2(क) **स्थायी रूप से ताला बन्द काँटें/पृथक्करण (आइसोलेशन) :**
इस स्टेशन पर कोई स्थायी रूप से ताला बन्द काँटा नहीं है।
- 4.1.2(ख) **काँटा इंडिकेटर :-** काँटा संख्या 1, 2, 5 एवं 6 पर काँटा इंडिकेटर प्रदत्त है।
- 4.1.3. **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डल :** इस स्टेशन पर कोई मोटर चालित काँटा नहीं है।
- 4.2 **रिले कक्ष की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-**
ट्रेक सर्किट की रिले स्टेशन मास्टर के कार्यालय में ताला बन्द बाक्स में स्थापित है। लीवर लाक की रिले केबिन लीवर फ्रेम के बैक कवर में दोहरे ताला बन्द बाक्स में स्थापित है। इसको खोलने के लिये स्टेशन मास्टर द्वारा अनुरक्षित पंजिका में प्रविष्टि करना अनिवार्य है।
- 4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) :-**
सिगनलों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सेकेण्डरी सैल का प्रावधान किया गया है।

5. **दूर संचार :-** स्टेशन मास्टर के साथ निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल०फोन
- iii) काशीपुर स्टेशन के नील्स टैबलेट उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- iv) गूलरभोज स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 21/बी, एवं 23/बी के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- vi) इंजी० समपार फाटक सं० 11/सी, 18/सी एवं 19/सी (बाजपुर-गूलरभोज) के साथ टेलीफोन
- vii) इंजी० समपार फाटक सं० 28/सी, 30/सी, 33/बी, 34/बी एवं 35/सी (बाजपुर-काशीपुर) के साथ टेलीफोन
- viii) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 13A में दिये गये नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायं)

6. **गाड़ी संचालन की प्रणाली :-**

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.36 से 3.40, 3.40(1) (ख), (2) (ख), (3) (क), एवं साधारण नियम 3.70, साधारण एवं सहायक नियम 4.17 तथा 4.35 देखें)

(1) **गाड़ियों का आगमन :**

- (क) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है, वह साफ एवं बाधा रहित है, यार्ड के दोनों छोरों पर कार्यरत कौंटे वालो को गाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा, जिधर से गाड़ी आ रही है एवं लाइन संख्या जिसपर गाड़ी को लेना है, के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश देगा। अप अथवा डाउन गाड़ियों के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार फाटक संख्या 21/बी, तथा 23/बी पर कार्यरत फाटक वालों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार सूचित कर गेट बन्द करायेगा।
- (ख) कार्यरत स्टेशन मास्टर तब यार्ड के सम्मुख एवं अनुमुख छोरों पर कार्यरत कौंटेवाला को दिशा नियन्त्रण चाबी 'ए' और 'जी' तथा अप अथवा डाउन होम लोकेशन बाक्स की चाबी सौंपेगा।
- (ग) सम्मुख छोर का कौंटावाला स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार उस मार्ग, जिस पर आने वाली गाड़ी गुजरेगी, का निरीक्षण करता हुआ बाह्यतम सम्मुख कौंटों की ओर जायेगा। वह स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार चाबी 'जी' या 'ए' जैसी भी स्थिति हो, को कौंटा संख्या 6 या 1 पर लगे ताले में लगायेगा और लाइन संख्या 1 या 2 या 3 के लिये कौंटा सैट करेगा और अप गाड़ी के मामले में लाइन संख्या 1 के लिये चाबी 'बी' तथा लाइन संख्या 2 या 3 के लिये कौंटा संख्या 1 से निकली चाबी 'सी' को कौंटा संख्या 2 में लगाकर क्रमशः लाइन संख्या 2 या 3 को सैट करके उससे निकली चाबी 'ई' अथवा 'डी' को निकाल कर अप लोकेशन बाक्स के लीवर लाक में लगाकर स्टेशन मास्टर को प्रेषित कर देगा तथा लोकेशन बाक्स में लगे टेलीफोन द्वारा सूचित भी कर देगा।

इसी प्रकार डाउन गाड़ी के मामले में लाइन संख्या 3 के लिये चाबी 'के' तथा लाइन संख्या 1 या 2 के लिये कौंटा संख्या 6 से निकली चाबी 'जे' को कौंटा संख्या 5 में लगाकर क्रमशः लाइन संख्या 1 या 2 को सैट करके उससे निकली चाबी 'एच' अथवा 'एल' को निकाल कर डाउन लोकेशन बाक्स के लीवर लाक में लगाकर स्टेशन मास्टर को प्रेषित कर देगा तथा लोकेशन बाक्स में लगे टेलीफोन द्वारा सूचित भी कर देगा। स्टेशन मास्टर कार्यालय में कौंटों के सैट एवं लाक होने का (नार्मल अथवा रिवर्स) इंडिकेशन मिलेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

(घ) अनुमुख छोर का काँटावाला स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार उस मार्ग, जिसपर आने वाली गाड़ी गुजरेगी का निरीक्षण करता हुआ बाह्यतम अनुमुख कॉटों की ओर जायेगा। वह स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार कॉटा संख्या 1 या 6 को वॉछित स्थिति में सैट करेगा और कॉटे के ताले में चाबी 'जी' या 'ए' को लगाकर अप गाड़ी के मामले में लाइन संख्या 3 के लिये चाबी 'के' तथा लाइन संख्या 1 या 2 के लिये कॉटा संख्या 6 से निकली चाबी 'जे' को कॉटा संख्या 5 में लगाकर क्रमशः लाइन संख्या 1 या 2 को सैट करके उससे निकली चाबी 'एच' अथवा 'एल' को निकाल कर अप लोकेशन बाक्स के लीवर लाक में लगाकर स्टेशन मास्टर को प्रेषित कर देगा तथा लोकेशन बाक्स में लगे टेलीफोन द्वारा सूचित भी कर देगा।

इसी प्रकार डाउन गाड़ी के मामले में लाइन संख्या 1 के लिये चाबी 'बी' तथा लाइन संख्या 2 या 3 के लिये कॉटा संख्या 1 से निकली चाबी 'सी' को कॉटा संख्या 2 में लगाकर क्रमशः लाइन संख्या 2 या 3 को सैट करके उससे निकली चाबी 'ई' अथवा 'डी' को निकाल कर डाउन लोकेशन बाक्स के लीवर लाक में लगाकर स्टेशन मास्टर को प्रेषित कर देगा तथा लोकेशन बाक्स में लगे टेलीफोन द्वारा सूचित भी कर देगा। मास्टर कार्यालय में कॉटों के सैट एवं लाक होने का (नार्मल अथवा रिवर्स) इंडिकेशन मिलेगा।

(ङ) कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट संख्या 21/बी, एवं 23/बी से प्रेषित चाबी 'पी' तथा 'क्यू' मिलने के बाद **तथा इन चाबियों को एच०के०टी० से निकालकर 7-मार्गी लाक अप बाक्स में लगाकर** चाबी एल-1 या एल-2 या एल-3 तथा अप दिशा की नियन्त्रक चाबी 'एम' अथवा डाउन दिशा की नियन्त्रक चाबी 'एन' को लाक अप बाक्स से निकाल लेगा। तब वह चाबी एल-1 या एल-2 या एल-3 और 'एम' या 'एन' को सुसंगत होम सिगनल लीवर में लगायेगा।

अप गाड़ी के मामले में लीवर संख्या 9 तथा होम सिगनल लीवर संख्या 10 या 11 या 12 तथा डाउन गाड़ी के मामले में लीवर सं० 9 तथा होम सिगनल लीवर संख्या 3 या 4 या 5 खींचेगा। तब होम सिगनल 'आफ' स्थिति में आ जायेगा। तत्पश्चात वह लीवर संख्या 13 या 2 को खींचकर आउटर सिगनल को 'आफ' कर देगा। आउटर सिगनल के आफ होने का इंडिकेशन केबिन यार्ड डायग्राम पर मिलेगा।

(साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.40, 3.41, 3.43 तथा 5.01 देखें)।

(च) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा कॉटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है, काँटावाला द्वारा स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार कॉटों को एक मिनट के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट कर दिया जाय। यदि गाड़ी क्रासिंग में रूकी है तो दोनों ओर के कॉटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। कॉटों एवं सिगनलों को सामान्य दशा में वापस करने के बाद ही स्टेशन मास्टर सड़क यातायात के लिये गेट को खोलने के लिये चाबी 'पी' अथवा 'क्यू' को गेट पर ट्रॉसमित करे करें।

6.1 **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-** गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटा वाला, एवं फाटक वाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-**

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- 6.1.2 **लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :-**
कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन एवं प्रस्थान के लिये परिचालित लाइनों का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।
- 6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-**
वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एशयोरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।
(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली के अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)
- 6.2 **लाइन क्लीयर देने की शर्तें :-**
लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :
- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा आउटर सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम छोर के शॉटिंग लिमिट बोर्ड तक साफ न हो।
- (घ) डाउन गाड़ियों के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा, इंजीनियरिंग गेट संख्या 28/सी, 30/सी, 33/बी, 34/बी, 35/सी तथा अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 11/सी, 18/सी, 19/सी, पर कार्यरत फाटकवालों को सम्बन्धित गेट के परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार टेलीफोन पर सूचित न कर दिया गया हो।
(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2) (क) (ख) (ग) (i), तथा सहा० नियम 8.03(i), से (iv) देखें)
- 6.2.1 **स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**
- 6.2.1.1 **ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना**
जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)
- 6.2.1.2 **अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन**
जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।
- 6.2.1.3 **बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-**
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।
- 6.2.1.4 **बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-**
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।
- 6.2.1.5 **कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-**
इस स्टेशन पर कॉमन स्टार्टर नहीं है।
- 6.2.1.6 **सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना कोई नहीं।**

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.3 आगमन सिगनल को “आफ” करने की शर्तें :-

- (क) वॉछित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये।
- (ख) सभी सम्मुख कॉटें जिन पर से गाड़ी गुजरेगी सही ढंग से सैट तथा पाशित हों।
- (ग) मार्ग में पड़ने वाले सभी अनुमुख कॉटें वॉछित लाइन के लिये सैट सेट हों।
- (घ) जिस लाइन पर गाड़ी लेनी है, वह अवरोधों से मुक्त हो तथा अनुमुख कॉटें से आगे पर्याप्त दूरी तक साफ हो।
- (ङ) अप अथवा डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 21/बी, तथा 23/बी को सड़क यातायात के विरुद्ध साफ और बन्द करके चाबी ‘पी’ एवं ‘क्यू’ स्टेशन मास्टर को प्राप्त हो गयी हो।

6.3.1 “आफ” किये गये सिगनल को पुनः “आन” करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)
- (ख) अप एवं डाउन गाड़ियों का एक साथ प्रस्थान किया जा सकता है।

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के लगे एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है।
- (ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 21/बी पर कार्यरत गेटमैन तथा डाउन गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 23/बी पर कार्यरत गेटमैन का यह कर्तव्यच होगा कि वह टेलीफोन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करे तथा अपनी लाग बुक में इसकी प्रविष्टि करे। अप या डाउन गाड़ी एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प के सन्दर्भ में अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के गार्ड से इस उद्देश्य हेतु सक्षम कर्मचारी द्वारा भेजी गयी पूर्ण आगमन पुस्तिका (Train Intact Registr) के निर्धारित प्रपत्र टी/1410 पर गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस प्राप्त हो जाने के बाद ही ब्लाक यन्त्र पर लाइन बन्द करेगा।

(साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

- (क) कार्यरत स्टेशन मास्टर यार्ड के उस छोर पर कार्यरत कॉटावाला को जिधर से गाड़ी जायेगी, को गाड़ी की संख्या , विवरण, तथा लाइन संख्या बताते हुए स्पष्ट निर्देश देगा। तत्पश्चात कार्यरत कॉटावाला को नियन्त्रण चाबी ‘ए’ अथवा ‘जी’ जैसी भी आवश्यकता हो, तथा अप अथवा डाउन होम लोकेशन बाक्स की चाबी सौंपेगा। डाउन गाड़ियों के प्रस्थान के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट संख्या 21/बी एवं अप गाड़ी के मामले में गेट सं० 23/बी के गेटमैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करेगा और चाबी ‘पी’ अथवा ‘क्यू’ गेट मैन से प्राप्त करेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

(ख) कार्यरत कौटावाला तब उस मार्ग जिससे गाड़ी जायेगी का निरीक्षण करता हुआ अनुमुख कौटों तक जायेगा और कौटा संख्या 1 या 6 को वॉछित स्थिति में सैट करके चाबी 'ए' अथवा 'जी' लगाकर अप गाड़ी के लिये लाइन संख्या 3 के लिये चाबी 'के' तथा लाइन संख्या 1 या 2 के लिये कौटा संख्या 6 से निकली चाबी 'जे' को कौटा संख्या 5 में लगाकर क्रमशः लाइन संख्या 1 या 2 को सैट करके उससे निकली चाबी 'एच' अथवा 'एल' को निकाल कर डाउन होम सिगनल लोकेशन बाक्स के लीवर लाक में लगाकर स्टेशन मास्टर को प्रेषित कर देगा तथा टेलीफोन से स्टेशन मास्टर को सूचित भी कर देगा ।

डाउन गाड़ी के लिये लाइन संख्या 1 के लिये चाबी 'बी' तथा लाइन संख्या 2 या 3 के लिये कौटा संख्या 1 से निकली चाबी 'सी' को कौटा संख्या 2 में लगाकर क्रमशः लाइन संख्या 2 या 3 को सैट करके उससे निकली चाबी 'ई' अथवा 'डी' को निकाल कर अप होम सिगनल लोकेशन बाक्स के लीवर लाक में लगाकर स्टेशन मास्टर को प्रेषित कर देगा तथा टेलीफोन से स्टेशन मास्टर को सूचित भी कर देगा ।

(ग) कार्यरत स्टेशन मास्टर कौटा इंडिकेटर के संकेत को देखकर सुनिश्चित करेगा कि मार्ग सही सैट किया गया है। तब डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 11/सी, 18/सी, 19/सी, तथा अप गाड़ी के मामले में 28/सी, 30/सी, 33/बी, 34/बी तथा 35/सी के फाटकवालों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार सूचित करेगा । तत्पश्चात गाड़ी के चालक को प्रस्थान प्राधिकार सौंपेगा और गाड़ी के गार्ड को डिपार्टिंग बैल बजाकर गाड़ी चलाने को प्राधिकृत करेगा ।

(घ) गाड़ी प्रस्थान करने के बाद, प्रस्थान के लिये सैट किये गये कौटों को, जब गाड़ी उन पर से गुजरकर साफ कर दे ,उनकी सामान्य दशा में पुनः सैट कर दिया जायेगा ।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7 गाड़ियों का रन-थ्रू (बिना रुके) जाना :-

(क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। जब गाड़ी मुख्य लाइन सं० 2 से होकर जाय तो बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार टोकेन पिक अप अपेरेटस से ही दिया जाना चाहिये ।

(ख) जब कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 या 3 से बिना रुके सीधे जाय तब ड्राइवरो को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से ही दिया जायेगा ।

(ग) किसी गाड़ी को बिना रुके सीधे जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बद्ध लाइनो पर शन्टिंग अवश्य ही बन्द कर दी जायेगी और इंजन से न जुड़े हुये अपृथक (नान-आइसोलेटेड) लाइनो पर खड़े हुये वाहनो को समुचित रूप से सुरक्षित कर दिया जाये ।

(साधारण एवं सहायक नियम 5.23 देखें)

(घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जायेगी ।

(ङ) जब प्लेटफार्म रहित लाइन पर कोई यात्री गाड़ी खड़ी हो तो प्लेटफार्म लाइन से कोई भी गाड़ी बिना रुके सीधे नहीं जायेगी ।

(सहायक नियम 5.01(14)(iv) देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.8 कौंटो अथवा सिगनलों कि विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

कौंटों एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग)(3) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कौंटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा। गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित कौंटों विपरीत सेट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिखा नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्वोरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहनवाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम ५७२३ में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहनवाहनो लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रोक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रोक खड़ा हो, तो हर रोक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रोक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रोकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्वोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्वोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
8. **शन्टिंग** : शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।
- 8.1. **ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग** : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)
- (क) प्रथम रोक सिगनल (आउटर) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
- i) आउटर एवं होम सिगनल "आन" स्थिति में हो।
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- iii) लोको पायलट को आउटर सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।
- (ख) **प्रथम रोक सिगनल (आउटर) के बाहर शन्टिंग** : निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
- i) सभी सम्बन्धित सिगनल 'आन' स्थिति में हो।
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, (साधा० एवं सहा० नियम 8.15 को देखें),
- iv) लोको पायलट को शन्टिंग आदेश देने के साथ-साथ टोकन या टैबलेट जो चलन में है, भी दिया जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) होम सिगनल के अन्दर शन्टिंग : (स्टेशन सैक्शन में शंटिंग)

- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित आउटर तथा होम सिगनल 'आन' स्थिति में हो ।

(ख) शंटिंग लिमिट बार्ड तक शंटिंग :-

- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित आउटर तथा होम सिगनल 'आन' स्थिति में हो ।
- iii) आउटर सिगनल की दृश्यता बाधित न हो ।
- iv) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाय ।

(ग) आउटर सिगनल तक शन्टिंग :

किन्हीं विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसी शन्टिंग निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा सकती है :-

- i) आउटर सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से स्पष्ट हो ।
- ii) आती हुयी गाड़ी आउटर सिगनल पर आकर पूर्णतः रुक गयी हो एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर ने इस सम्बन्ध में स्वयं को आश्वस्त कर लिया हो ।
- iii) ऐसी शन्टिंग का प्रभारी स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी हो ।
- iv) सभी सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
- v) लोको पायलट को परिस्थितियों से अवगत कराते हुये आउटर सिगनल तक शन्टिंग करने की लिखित अनुमति दी जाये ।

ऐसी शन्टिंग निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं की जानी चाहिये :-

- i) धुन्ध अथवा कोहरे के समय ।
- ii) रात्रि में ।
- iii) यदि आउटर सिगनल स्टेशन मास्टर कार्यालय से दिखायी न देता हो ।
- iv) यदि आउटर सिगनल स्टेशन मास्टर कार्यालय से दिखायी तो देता हो परन्तु किसी पेड़ अथवा अन्य किसी बाधा अथवा किसी भी कारण से कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं अपने आपको इस सम्बन्ध में आश्वस्त कर पाना सम्भव न हो कि जाने वाली गाड़ी आउटर सिगनल पर जाकर रुक गयी है ।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) जाती हुयी गाड़ी आउटर सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- iv) लोको पायलट को परिस्थितियों से अवगत कराते हुये आउटर तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

8.3. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध, प्रमुख विशेषताएं, यदि कोई हों :

1. रोलर बीयरिंग स्टाक की शन्टिंग करते समय निम्नलिखित सावधानियों बरती जाये :-
 - (क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शन्टिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संघटक गति (Impact Speed) प्रति घंटा 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।
 - (ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड़ मे, पॉच वाहनो की शन्टिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संघटक गति (Impact Speed) 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

1. काशीपुर की ओर शंटिंग करते समय ट्रैफिक गेट सं० 23/बी तथा गूलरभोज की ओर शंटिंग करते समय गेट संख्या 21/बी को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक कराने की जिम्मेदारी शंटिंग कर्मचारी की है।
2. **स्टेशन पर शंटिंग के समय गाड़ी के गार्ड के निम्न कर्तव्य होंगे :-**
 - (क) सामान्य पर्यवेक्षण
 - (ख) सही वैगनो / वाहनो को कटवाना / जुड़वाना तथा सही मार्शलिंग कराना।
 - (ग) यह सुनिश्चित करना कि शंटिंग के बाद वैगनो / वाहनो की कपलिंग ठीक से जोड़ दी गयी है।
 - (घ) गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सैटिंग सुनिश्चित करना।
 - (ङ) शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :** कुछ नहीं

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लाइंग साइडिंग) की कार्य विधि, यदि कोई हो :** कुछ नहीं।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :**

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणो के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन ध्वी०एच०एफ०सैट अथवा वी०एस०एन०एल०फोन द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक यन्त्र टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट अथवा वी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

- (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
- (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैन्स है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
- (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
- (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।

- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

9.(ख) क्रैक हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :- यहाँ क्रैक हैण्डल नहीं है।

- 9.(ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-
इस स्टेशन पर कॉलिंग आन सिगनल का प्रावधान नहीं है।

- 9.(घ) काँटों, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :
संकेतन परिशिष्ट "ख" को देखें।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सैट

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 [^] इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	1.निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा ।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड मे इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति मे पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख कॉर्ने के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।
- जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।**9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :**
अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।

विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) **अप छोर :** दिन में डाउन होम सिगनल की भुजा सं० 4 एवं रात्रि में उसके पीछे का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेमा० को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (ख) **डाउन छोर :** दिन में अप होम सिगनल की भुजा सं० 10 एवं रात्रि में उसके पीछे का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेमा० को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।**12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :**

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य
- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
 1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचालन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कौंटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
5. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
6. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
7. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
9. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
10. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. काँटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काँटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. यदि आवश्यक हो, तो अनुमुख काँटों के पास रहकर रक्षित करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में काँटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
- i) सिगनल, काँटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
- ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- काँटेवाले द्वारा प्रचालित काँटों वह पूर्ण प्रभारी होगा। वह काँटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, काँटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे काँटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य :-

सम्बन्धित गेट के परिशिष्ट 'मे दिये अनुदेशों का पालन किया जायेगा ।

(परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्यों के लिये विवरण परिचालन नियमावली के अध्याय 3 में देखें)

परिशिष्ट 'इ'स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 04 के०आयल (गेट सं० 21 एवं 23 हेतु)
05 बैट्री लिट |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 06 हरी तथा 08 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 04 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 04 तालो सहित |
| 6. | अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप | - 02 |
| 7. | अग्निशामक यन्त्र बाल्टियो | - 06 |
| 8. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 9. | लकड़ी के गुटके | - 10 |

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/61

बाजपुर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कचच)

लागू नहीं

(एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/61

बाजपुर

परिशिष्ट 'च'

डी०के० स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस०, और बाहरी साइडिंगों के
संचालन नियम

लागू नहीं

(एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

लागू नहीं

(एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर